



उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून

लेन नं० 3, भवन संख्या-23, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।

E-mail: ukmssbdun@gmail.com, Website: www.ukmssb.org, Phone: 0135- 2665366

पत्र संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0/06/2024-25/805

दिनांक: 08 अक्टूबर, 2026

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) के रिक्त 47 पदों पर अभिलेख सत्यापन उपरान्त अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या- उ0चि0से0च0बो0/परी0/06/2024-25/294, दिनांक: 09 अप्रैल 2026 के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) के रिक्त 47 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 03 अगस्त 2026 से 10 अगस्त 2026 तक अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार परीक्षा कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आयोजित की गई। अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त अनर्ह घोषित किये गये अभ्यर्थियों एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित की गई श्रेणी-उपश्रेणी सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र/दस्तावेज उपलब्ध न कराने वाले अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित की जा रही है-

क्रमांक	अनुक्रमांक	अनर्हता का कारण
1	8620237004	अनर्ह- अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 मई 2026 तक वैध/स्थायी उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय दिनांक 08 मई 2026 को निर्गत स्थायी उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 के अनुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया गया।
2	8620237070	अनर्ह- अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 मई 2026 तक वैध/स्थायी उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय दिनांक 23 जून 2026 को निर्गत स्थायी उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 के अनुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया गया।
3	8620237093	अनर्ह- अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 मई 2026 तक वैध/स्थायी उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय दिनांक 11 मई 2026 को निर्गत स्थायी उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 के अनुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया गया।
4	8620237158	अनर्ह- अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 मई 2026 तक वैध/स्थायी उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय दिनांक 27 मई 2026 को निर्गत स्थायी उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 के अनुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया गया।
5	8620237193	अनर्ह- अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 मई 2026 तक वैध/स्थायी उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय दिनांक 27 मई 2026 को निर्गत स्थायी उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 के अनुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया गया।

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है—

8620237001	8620237003	8620237005	8620237010	8620237015	8620237016
8620237018	8620237022	8620237025	8620237031	8620237033	8620237037
8620237043	8620237047	8620237048	8620237053	8620237060	8620237062
8620237074	8620237077	8620237081	8620237085	8620237086	8620237088
8620237097	8620237099	8620237105	8620237106	8620237107	8620237109
8620237111	8620237112	8620237114	8620237116	8620237119	8620237120
8620237122	8620237124	8620237125	8620237127	8620237128	8620237131
8620237132	8620237135	8620237139	8620237141	8620237144	8620237151
8620237154	8620237155	8620237162	8620237168	8620237170	8620237171
8620237172	8620237180	8620237182	8620237183	8620237186	8620237191
8620237192	8620237194	8620237195	8620237196	8620237207	8620237212
8620237217	8620237219	8620237222	8620237223	8620237226	8620237227
8620237231	8620237232	8620237237	8620237240	8620237241	8620237243
8620237247	8620237248	8620237250	8620237251	8620237252	8620237254
8620237258	8620237261	8620237263	8620237264	8620237265	8620237269
8620237274	8620237275	8620237286	8620237304	8620237305	8620237306
8620237309	8620237311	8620237316	8620237317	8620237320	8620237322
8620237323	8620237324	8620237325	8620237327	8620237328	8620237334
8620237335	8620237339	8620237342	8620237347	8620237349	8620237351
8620237352	8620237353	8620237356	8620237357	8620237359	8620237360
8620237361	8620237365	8620237366	8620237367	8620237373	8620237378
8620237379	8620237380	8620237385	8620237386	8620237387	8620237393
8620237394	8620237406	8620237411	8620237423	8620237425	8620237426
8620237428					

ह0/—
(सुनील सिंह)
सचिव